POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीयकार्य/प्रेसविज्ञप्ति – दिनाकं 11-10-2024

1.थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस द्वारा, वादी को डिजिटल अरेस्ट कर मनी लांड्रिग के केस का भय दिखा कर 02 करोड रुपयों की धोखाधडी/ठगी करने वाले गैंग के 03 साइबर ठग अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 11-10-2024 को **थाना साइबर क्राइम** नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये डिजिटल अरेस्ट कर 02 करोड रुपयों की धोखाधड़ी/ठगी करने वाले अभियुक्तगण कमशः कानाराम गुर्जर, ललित कुमार व सचिन कुमार को छालान रोड मानसरोवर जनपद जयपुर से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- रिटायर्ड मेजर जनरल निवासी सेक्टर 31 नोएडा गौतमबुद्धनगर ने दिनांक 27/08/2024 को मु0अ0सं0 85/2024 धारा 308 (02), 319(4), 318(4) बीएनएस व 66 डी आई0टी0 एक्ट थाना साइबर क्राइम थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया जिसमें साइबर अपराधी द्वारा अपने सहअभियुक्तो के साथ मिलकर वादी से डीएचएल कोरियर सर्विस का कर्मचारी बनकर उसके मोबाईल एवं आइडी का प्रयोग मनी लांड्रिंग में किए जाने जिसकी जाँच साइबर क्राइम मुंबई द्वारा किए जाने का भय दिखाया गया। साइबर अपराधी द्वारा फर्जी डीसीपी राजपूत बनकर वादी को स्काई ऐप डाउनलोड कराकर वीडियो काल करके डिजिटल कस्टडी में लिया गया तथा धोखाधडीपूर्वक वादी की एफ.डी. ब्रैक कर धनराशि को फर्जी बैंक खाते में जमा कराई गयी। विवेचना के क्रम में साक्ष्य सकंलन के क्रम में विवेचना में धारा 61(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

पूछताछ का विवरण-- गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने बताया कि अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सिनीयर सिटीजन/रिटायर्ड अधिकारी को कॉल करके स्वयं पुलिस अधिकारी बनकर उसको स्काइप काल के माध्यम से डिजीटल अरेस्ट कर समझौता कराने के नाम धोखाधडी करते है। धोखाधडी की रकम को जनपद जयपुर, जोधपुर के अधिकतर पी0जी0 में तैयारी कर रहे विधार्थीयों/रेस्टोरेन्ट आदि पर कार्य करने वाले व्यक्तियों से सम्पर्क कर उन्हे कमीशन के नाम पर धनराशि देते है और उनसे बैक खाते से सम्बन्धित सिम व एटीएम के माध्यम से कैश करा कर यू0एस0डी0टी0 के माध्यम से आपस में वितरित कर लेते है। इस गैग के अहम सदस्य राजकुमार पुत्र

गोपाल सिंह नि0 अलवर को मुम्बई पुलिस द्वारा दिनांक 02.10.2024 को गिरफ्तार किया गया है जिसके सम्बन्ध मे जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त सचिन से पूछताछ के दौरान पाया गया है कि उसके द्वारा जो खाते उपलब्ध कराये गये है, उनके विरुद्ध एनसीआरपी पोर्टल पर कुल 76 (तमिलनाडू-08, कर्नाटक-20, महराष्ट-13, तेलंगाना-07, आन्ध प्रदेश-05, दिल्ली-03, ,हरियाणा-03, पश्चिम बंगाल-03, गुजरात-02, झारखंड-02, केरल-02, उडीसा-2, राजस्थान-2, उत्तर प्रदेश-02, छत्तीसगढ-1, उत्तराखंड-01,) शिकायतों का होना पाया गया है जिनके विषय में गहनता से जाचं कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

01. कानाराम गुर्जर पुत्र स्व0 बदरीनारायण गुर्जर नि0 ग्राम ढानी, जूथा लाल सरपंच की धानी सारन एरिया बस्सी थाना बस्सी जनपद जयपुर, राजस्थान उम्र 30 वर्ष
02. ललित कुमार पुत्र नरेन्द्र सिंह नि0 ग्राम रेटा कस्बा कठुमर थाना कठुमर जनपद अलवर राजस्थान उम्र 22 वर्ष
03. सचिन कुमार पुत्र घनश्याम नि0 ग्राम इसरौती थाना कठुमर जनपद अलवर राजस्थान उम्र 30 वर्ष

नोट- साइबर जागरूकता सुझाव बिन्दु--

1- डिजिटल अरेस्ट- पुलिस किसी को भी फोन काल पर डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है।

2- आरबीआई या किसी अन्य संस्था द्वारा फिजिकल मनी का आपके खाते से सत्यापन नहीं किया जाता है।

3- ऐसा कोई सरकारी बैंक खाता या आरबीआई का SSA (Secret supervision account) खाता नहीं है जिसमें आपसे पैसे ट्रांसफर कराकर उस पैसे की जाँच की जाती हो।

4- इस तरह से सीबीआई अधिकारी, साइबर अधिकारी, आरबीआई या किसी अन्य संस्था का अधिकारी बनकर आपके पास फोन काल/ इंटरनेट skype/ zoom/ विडियो काल आती है और जाँच के नाम पर पैसे को ट्रांसफर किए जाने हेतु कहा जाता है या मनीलांड्रिग के केस का भय दिखाया जाता है तो तत्काल अपने निकटवर्ती थाना से संपर्क करें। तथा साइबर हेल्प लाईन नंबर 1930 पर काल करें www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत तत्काल दर्ज करायें।

2. थाना सेक्टर-49 पुलिस द्वारा अवैध विस्फोटक पदार्थ(गंधक व पोटास) के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 104 किलों 800 ग्राम अवैध विस्फोटक पदार्थ (गंधक व पोटास) बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 11.10.2024 को **थाना सेक्टर**-49 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से अवैध विस्फोटक पदार्थ(गंधक व पोटास) के साथ एक अभियुक्त दीशान्त पुत्र जय सिंह को थाना क्षेत्र के एसटीपी, सेक्टर-50 के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 104 किलों 800 ग्राम अवैध विस्फोटक पदार्थ (गंधक व पोटास) बरामद किया गया है।

अभियुक्त अलग-अलग प्लास्टिक के कट्टो/बोरी में करीब 104 किलो 800 ग्रा0 विस्फोटक पदार्थ (पोटास व गंधक) लेकर कही जाने की फिराक में था जिसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि आजकल पटाखें बनाने के लिये खपत है, दीपावली के टाईम ही इसमें ज्यादा मुनाफा रहता है, जिस कारण लालच में आकर उसने यह काम शुरू किया है।

अभियुक्त का विवरण—

1. दीशान्त पुत्र जय सिंह निवासी चौहान कॉलोनी, ग्राम बरौला थाना सै0-49, नोएडा उम्र 20 वर्ष।

अभियोग का विवरणः

1. मु0अ0सं0 0415/2024 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 थाना से0-49, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 104 किलों 800 ग्राम अवैध विस्फोटक पदार्थ (गंधक व पोटास)